निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–60/21
दायरा दिनांक :–24.5.21
निर्णय दिनांक :– 17.10.2022

उनवान

1. केसरबाई पत्नी स्व0 श्री लटूरलाल जाति नायक
2. गुड्डीबाई पुत्री स्व0 श्री लटूरलाल जाति नायक
3. धन्नालाल पुत्रस्व0 श्री लटूरलाल जाति नायक
   निवासीगण गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां. –वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लोडूलाल जाति नायक
2. मेतीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति नायक
3. ळंसराज पुत्र लक्ष्मण जाति नायक
4. लटूरीबाई पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मण जाति नायक(मृतक)
   निवासीगण गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां –प्रतिवादीगण
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 17.10.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता एड0 – वादी
2 श्री रघुवीर प्रसाद मीणा एड0 –प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम गजनपुरा पटवार हल्का गजनपुरा तहसील बारां की आराजी सम्मत 2070–73 खाता सं0 नया 80 पुराना 57 की आराजी ख0 नं0 187 रकबा 13 हे0 (डोली) खसरा नं0 654 डोली रकबा 0.55 हे0 खसरा नं0 656 डोली रकबा 0.68 है0 खसरा ... डोली रकबा 0.74 हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 3.10 है0 जिसे आगे वादपत्र ... विवादित ... के नाम से सम्बोधित किया गया है। खातेदार प्रतिवादी कम 4 लटूरीबाई की ... हो चुका है जिसके वैधानिक वारिस एवं कायम मुकामान प्रतिवादी कम 2 व 3 है इनके अतिरिक्त अन्य कोई ... वारिस एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

कायम मुकामान नहीं है। वादपत्र की चरण कम 1 में वर्णित आराजी में वादिया कम 1 का 1/12 हिस्सा वादिया कम 2 का 1/12 हिस्सा वादी कम 3 का 1/6 हिस्सा इस प्रकार कुल आराजियात का 1/3 हिस्सा वादीगण का तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा निहित है किन्तु खाता शामिल होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अपनी आराजियात को काश्त व्यवस्था करने एवं भूसुधार करने बैंक आदि से ऋण बगैरा प्राप्त करने व मुआवजा वगैरा की राशि प्राप्त करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ खाता संयुक्त रखना संभव नहीं है। इस कारण वादीगण अपने 1/3 हिस्से को पृथक कराकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं पृथक से लगान निर्धारित कराने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व से ही बाहमी बंटवारा हो रहा है उसी अनुसार वादीगण अपने 1/3 हिस्से पर व प्रतिवादी कम 1 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी कम 2 व 3 अपने 1/3 हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त है उसी अनुसार काश्त व्यवस्था करते चले आ रहे है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में खाता शामिल हाने के कारण समस्याएं उत्पन्न होने से वादीगण राजस्व रिकार्ड में नियामानुसार बंटवारा कराकर अपना नाम पृथक से अकंन करवाने तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने व पृथक से लगान निर्धारित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के अधिकारी एवं नालिशी है। वादीगण द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादीगण से हिस्सा अनुसार खाता पृथक करवाये जाने हेतु तहसील बारां में चलने का निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा टालमटूल की जाती रही तथा अंतिम रूप दिनांक 10.04.2021 को इंकार करने पर वाद कारण बमुकाम गजनपुरा में उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम गजनपुरा सम्वत् 2070–73 खाता सं0 80, पेश की गई। साक्ष्य वादी में धन्नालाल के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तह0 बारां में स्थित है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विवादित आराजी शामलात प्रतिवादीगण में दर्ज है वादीगण अपने हिस्से की भूमि को हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन करा कर अलग खाते दर्ज करवाना चाहते है प्रतिवादी कम 1 ता 3 द्वारा भी इकवाली जवाब पेश किया है। प्रतिवादी भी अपना खाता हिस्सा अनुसार अलग–अलग करा कर खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया है वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

वाद स्वीकार किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गजनपुरा सम्वत 2070—73 खाता सं0 80 के अनुसार वादी केसर का 1/12, गुड्डीबाई का 1/12 धन्नालाल पुत्र लटूर हिस्सा 1/6 दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी बाबू पुत्र लोडू हिस्सा 1/3, तथा मोती, हसंराज पुत्र, लटूरी पत्नी लक्ष्मण के हिस्सा में 1/9, 1/9 दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी कम 4 लटूरीबाई का देहान्त हो चुका है जिसमें प्रतिवादी कम 2 व 3 का हिस्सा 1/3 दर्ज होगा। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन करा कर अलग खाता दर्ज करवाना चाहते है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके माल गजनपुरा तहसील बारां के ख0 नं0 187 रकबा 1.13 हे0, ख0 नं0 654 रकबा 0.55 है0, ख0 नं0 656 रकबा 0.68 है0 ख0 नं0 657 रकबा 0.74 है0 में वादीगण का 1/3 तथा प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 2 व3 का हिस्सा 1/3 पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है तद्नुरूप प्रारम्भिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

वाद संख्या 60/2021	**प्राथमिक डिक्री** अन्तर्गत 53,188 आर टी एक्ट	
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		निर्णय दिनांक :— 17.10.2022
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:—श्री ओमप्रकाश मेहता	अभिभाषक प्रतिवादी:— रघुवीर प्रसाद मीणा	

वाद शीर्षक

उनवान

1. केसरबाई पत्नी स्व0 श्री लटूरलाल जाति नायक
2. गुड्डीबाई पुत्री स्व0 श्री लटूरलाल जाति नायक
3. धन्नालाल पुत्रस्व0 श्री लटूरलाल जाति नायक
   निवासीगण गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां

—वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लोडूलाल जाति नायक
2. मेतीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति नायक
3. हंसराज पुत्र लक्ष्मण जाति नायक
4. लटूरीबाई पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मण जाति नायक(मृतक)
   निवासीगण गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

—प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके माल गजनपुरा तहसील बारां के ख0 नं0 187 रकबा 1.13 हे0, ख0 नं0 654 रकबा 0.55 है0, ख0 नं0 656 रकबा 0.68 है0 ख0 नं0 657 रकबा 0.74 है0 में वादीगण का 1/3 तथा प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी कम 2 व3 का हिस्सा 1/3 पृथक पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 17.10.2022 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

...द संख्या 60/21	धारा अंतर्गत 53, 188 RTA	निर्णय दिनांक 20.1.23
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री ओम प्रकाश मेहता II	अभिभाषक प्रतिवादी श्री रघुवीर प्रसाद मीणा	

वाद शीर्षक

1. केसरबाई पत्नी स्व. श्री लट्टूलाल जाति नायक
2. गुड्डीबाई पुत्री स्व. श्री लट्टूलाल जाति नायक
3. धन्नालाल पुत्र स्व. श्री लट्टूलाल जाति नायक निवासी ग्राम गजनपुरा तह. बारां

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लोटूलाल जाति नायक
2. मोतीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति नायक
3. हंसराज पुत्र लक्ष्मण जाति नायक
4. लट्टूरीबाई पत्नी स्व. लक्ष्मण जाति नायक (मृतक) निवासी ग्राम गजनपुरा तह. बारां
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम गजनपुरा तह. बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान
1. केसरबाई पत्नी स्व. लट्टूल, गुड्डीबाई पुत्री स्व. लट्टूल हि. 52/103 हि. बराबर, धन्नालाल पुत्र स्व. लट्टूल हि. 51/103 जाति नायक रहन:- एक्सिस बैंक बारां (हि. धन्नालाल)	654	0.55	6.60
	187 पश्चिम	0.48	5.28
	किता 2	1.03	11.88
2. बाबूलाल पुत्र लोटू जाति नायक सा. देह	657	0.74	8.88
	187 पूर्व	0.30	3.30
	किता 2	1.04	12.18
3. मोती पुत्र लक्ष्मण हि. ½, हंसराज पुत्र लक्ष्मण हि. ½ जाति नायक सा. देह	656	0.68	8.16
	187 मध्य	0.35	3.85
	किता 2	1.03	12.01

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20.1.2023 को निर्गत किया गया।

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का [illegible] पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार [illegible] आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.04 17:20:09 IST
Reason: Self Attested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
	%)		